(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2661–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्योपुर प्रकरण कमांक 15/2011–12/अ–68

.....

राधेश्याम पुत्र श्री रामनाथ, जहॉगीरा
निवासी–छोटाखेड़ा
जिला–श्योपुर

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार
जिला–श्योपुर

.....अनावेदक

.....

श्री ए0के0 सिंघल, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार श्योपुर, जिला–श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बड़ाखेड़ा की भूमि क्रमांक 228 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा एक ही खेत से होकर रामनाथ पुत्र धन्ना निवासी–ग्राम छोटाखेड़ा इस भूमि का उपकृषक होकर वैधानिक रूप से इस पर काश्त करता था, जिसकी मृत्यू हो चुकी है । सम्पूर्ण रकबे पर अब मृतक रामनाथ के वारिसान उसी हैसियत से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु पटवारी

ने 5 के नाम पृथक–पृथक रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसके कारण पृथक–पृथक नोटिस जारी हो गये। पूर्व में उक्त भूमि के संबंध में रामनाथ ने एक दीवानी दावा क्रमांक 600/88ए इ0दी0 म0प्र0 शासन तथा तहसीलदार श्योपुर के विरूद्ध दायर किया जिसमें दिनांक 03–02–1990 को निर्णय एवं डिक्री पारित की जिसके अनुसार रामनाथ को अतिक्रामक न मानकर रामनाथ का कब्जा विधि अनुकूल माना गया है । किन्तु तहसीलदार न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस आवेदक को अतिक्रामक मानकर जारी किया । उक्त नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक ने नोटिस के जवाब के साथ सिविल कोर्ट का निर्णय एवं डिक्री माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भी प्रस्तुत किये । आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में क्षेत्राधिकार का प्रश्न धारा 248 के तहत् कार्यवाही करने का अधिकार नही है जैसा कि सिविल कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया है कि वादी की अतिक्रामक की हैसियत नहीं है उसका बिना वैधानिक प्रक्रिया का अनुशरण किया जाना विधि विरूद्ध है । न्यायालय तहसीलदार ने प्रचलनशीलता के संबंध में और क्षेत्राधिकार के संबंध में गहन विचार न करते हुये विवादित आदेश दिनांक 08–08–2012 पारित कर दिया गया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में प्रस्तुत किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कोर्ट के निर्णय को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है उक्त निर्णय सिविल कोर्ट द्वारा आवेदक को अतिक्रामक नहीं माना है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस अतिक्रामक मानकर दिया गया है जो कि सही नहीं है । यदि उक्त भूमि औकाफ भूमि मानी जाये तो उसके संबंध में कार्यवाही राजस्व विभाग को न होकर औकाफ बोर्ड को हो सकता है । तर्क में यह बताया कि न्यायालय तहसीलदार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि आवेदक का कब्जा भूमि पर विधि अनुकुल है और बिना वैधानिक प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता है । धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही की जाती है । चूँकि अतिक्रमण नहीं है एवं नोटिस धारा 248 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत विचार योग्य नहीं है । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संहिता के विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से निरस्ती योग्य है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से श्री उनके पेनल अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तहसीलदार का आदेश विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अतिकमण का है । अन्य अतिक्रामकों को एक ही प्रकरण में शामिल करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अलग–2 क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया गया है भले ही वह एक ही सर्वे कमांक के भाग हों । तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय की फाईडिंग पर भी तहसील न्यायालय के निष्कर्ष उचित हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय ने प्रचलनशीलता पर आपत्ति सही ही अमान्य की है । उनके आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर